

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 26.4.2022

कमांक ¹⁰⁴⁸ ~~785~~ /2022/16 :- छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के अधिसूचना कमांक-एफ-0 /2019 दिनांक 27.07.2020 द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 के नियम 272 (1) (ख) में तीन के पश्चात् निम्नानुसार अंतः स्थापित किया गया था:- (चार) "कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण अन्य राज्यों से वापस आये निर्माण कार्य में संलग्न प्रवासी श्रमिक का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में अस्थाई पंजीयन किया जावेगा। एक वर्ष के पश्चात् 90 दिवस कार्य करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र को नियमित किया जा सकेगा"।

एतद् द्वारा उपरोक्त बिन्दु चार को विलोपित किया जाता है। "उक्त अधिसूचना दिनांक 01.04.2021 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी"।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(आशुतोष पाण्डेय)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
अटल नगर रायपुर दिनांक 26.04.2022

कमांक ¹⁰⁴⁹ ~~735~~ /2022/16
प्रतिलिपि :-

- (1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम विभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) निज सचिव, मा0 अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (4) कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) नोडल अधिकारी, छ0ग0 राज्य असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (7) समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (8) पंजीयन शाखा/ योजना शाखा/ लेखा शाखा/ समन्वय शाखा/एन0 आई0 सी0 शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग